

**राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)**

क्रमांक एफ 27(41) ग्रावि/गुप-5/PMAY-G/Moni.-1/GoI/विविध/2016-17 जयपुर, दिनांक 10 मार्च, 2017

जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषय :- इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 तक स्वीकृत आवासों में अपूर्ण आवासों को ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराये जाने एवं PFMS प्रणाली से भुगतान लागू होने के उपरान्त RTGS के माध्यम से किये गये भुगतान की सूचना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2017 को आयोजित अधिकारप्राप्त समिति की बैठक में इन्दिरा आवास योजना के अपूर्ण आवासों एवं आवाससॉफ्ट पर पूर्ण आवासों की प्रगति प्रदर्शित नहीं होने को गम्भीरता से लिया है।


अतः उक्त के क्रम में निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित करावें :-

1. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 तक स्वीकृति सभी अपूर्ण आवासों के लाभार्थियों से सहमति प्राप्त कर ग्राम पंचायत के माध्यम से पूर्ण कराये जाने हेतु निम्न प्रारूप में सूचना भिजवाना सुनिश्चित करावें :-

Sr. No.	Name & registration No. of Beneficiary	Scheme	Year	Village	Gram Panchayat	Panchayat Samiti	District	Beneficiary Account No.	Sanction Amount	Installment paid		GP Account No.	Bank Brach	IFSC Code	Consent Form received or not
										Number	Amount				

2. आवाससॉफ्ट पर प्रविष्टियों से शेष लाभार्थियों को किये गये भुगतान की सूचना निम्न प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें, ताकि आवाससॉफ्ट सही संख्या में पूर्ण आवास प्रदर्शित हो सकें :-

Sr. No.	Name & registration No. of Beneficiary	Scheme	Year	Village	Gram Panchayat	Panchayat Samiti	District	Beneficiary Account No.	Sanction Amount	Installment paid		Order sheet no & date	Cheque no & date
										Number	Amount		


(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)